सत्य प्रतिलिपि आदेश दि० – 9/5/12

निरस्त

न्यायालय उप जिलाधिकारी,सदर,कन्नौज

वाद सं0–38 वर्ष 2011–12

अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधिनियम
ग्राम–गौसगपुर मौरारा
परगना व तहसील कन्नौज

श्री गौतम बुद्व बालिका महाविद्यालय बनाम ग्रामसभा

आदेश

श्री गौतम बुद्ध बालिका महाविद्यालय,कन्नौज द्वारा रामसनेही पुत्र स्व0रामस्वरूप निवासी सहियापुर,परगना व तहसील तिर्वा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 2.2.12 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की गई है कि वह आराजी गाटा सं0–880 रकबा 0.336हे0 में से 0.688ए0 भूमि का दर्जशुदा खातेदार बतौर संक्रमणीय भूमिधर है एवं तद्नुसार काबिज़ दखील है । इस भूमि पर बालिका महाविद्यालय संचालित है तथा अधिकांश भाग पर इमारत क़ायम है। भूमि पर इसी के साथ विवादित आराज़ी को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ विवादित आराजी की उद्धरण खतौनी,एवं विक्रय पत्र दिनांक 25.1.06,3.2.06 एवं 6.2.06 की छायाप्रतियॉ संलग्न की गई है।

प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार कन्नौज से कराई गई। तहसीलदार कन्नौज की आख्या दिनांक 23.3.12 प्राप्त हुई । आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम गौसगपुर मौरारा स्थित आराजी गाटा सं0– 880 रकबा 0.336हे0 में से 0.688ए0 भूमि राजस्व अभिलेखों में गौतम बुद्ध बालिका महाविद्यालय कन्नौजद्वारा प्रबन्धक रामसनेही पुत्र स्व0राम स्वरूप के नाम दर्ज है। वर्तमान में इस भूमि पर बाउण्ड्री वाल एवं विद्यालय भवन निर्मित है। इस भूमि का प्रयोग कृषि,बागबानी,मत्स्यपालन एवं कुक्कुटपालन हेतु नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने की संस्तुति की गई है। आख्या के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की आख्या का अवलोकन किया । उक्त से विदित है कि प्रश्नगत गाटा सं0–880 रकबा 0.336हे0 में से 0.688ए0 भूमि पर वर्तमान में विद्यालय भवन निर्मित है तथा इस भूमि को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित प्रयोजनों, यथा कृषि,बागबानी,मत्स्यपालन एवं कुक्कुटपालन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि विवादित को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है तद्नुसार निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है–

उपरोक्तानुसार तहसीलदार कन्नौज की आख्या दिनांक 23.3.12 स्वीकार की जाती है। ग्राम गौसगपुर मौरारा परगना व तहसील कन्नौज स्थित भूमि गाटा सं0–880 रकबा 0.336हे0 में से 0.688ए0 भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किया जाता है। आदेश की एक–2 प्रति तहसीलदार कन्नौज एवं उप निबन्धक कन्नौज को अभिलेखों में अंकन/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

प्रमाणित

उप जिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट

(महेश चन्द शर्मा) 9/5/12
उप जिलाधिकारी,सदर
कन्नौज

मिसल 139
प्रार्थी श्री अखिलेश
आवेदन 11/5/12
तैयार 14/5/12
दिया 14/5/12

Scanned with OKEN Scanner